उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या–10 / 2022

गिरजा शंकर मुण्डा बनाम् राज्य एवं बोधन महतो वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
05/03/2022	अपीलार्थी गिरजा शंकर मुण्डा, पिता–स्व० गंगु राम मुण्डा, ग्राम–सोसोकला, थाना–गोला, जिला–रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या–47 / 2014–15 गिरजा शंकर मुण्डा बनाम् बोधन महतो वगै० में दिनांक–07.06.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S-215 C.N.T. Act के तहत् न्यायालय में अपील दायर किया गया है। प्रविष्टि के बिन्दु पर दायर आवेदन से सम्बन्धित कालबाद्ध को क्षांत करने हेतु U/S- 5 of Limitation Act के तहत् अपीलार्थी की ओर से दायर आवेदन के परिप्रेक्ष्य में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ का बहस सुना तथा अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील दायर करने से सम्बन्धित विलम्ब के सम्बन्ध में, जो कारण बताया गया उससे सहमत होने का कोई तार्किक आधार नहीं बनता है। अतः विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ से सहमत होते हुए अपील आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। संचित करें। लेखापित एवं संशोधित माधवी मिश्रा 05.03.2022 **उपायुक्त,** रामगढ़। माधवी मिश्रा 05.03.2022 **उपायुक्त,** रामगढ़।	

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.03.11 17:23:31 +05:30
Location: 192.168.0.8